

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-8/ज०सं०(नि०) ग्रा०-06/2013/राँची, दिनांक-

संकल्प

श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2207 दिनांक- 20.04.2016 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली - 16 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसके संचालन पदाधिकारी श्री शेखर कुमार वर्मा, (से०नि० झा०प्र०से०) नियुक्त थे।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा श्री शुभेन्द्र झा, (से०नि०, भा०प्र०से०) को जल संसाधन विभाग का नया जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के कारण श्री शेखर कुमार वर्मा, (से०नि० झा०प्र०से०) द्वारा दिनेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचिका वापस कर दी गई है।

2. अतः श्री दिनेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को जारी रखने के लिए श्री शुभेन्द्र झा, से०नि०, भा०प्र०से० को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2207 दिनांक- 20.04.2016 की अन्य कंडिकायें एवं शर्तें यथावत् रहेगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति श्री वर्मा द्वारा वापस की गयी संचिका के साथ श्री शुभेन्द्र झा भा०प्र०से० (से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक -/राँची, दिनांक-

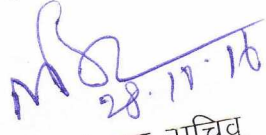
प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति एवं जाँच संचिका (मूल में) के साथ श्री शुभेन्द्र झा भा०प्र०से० (से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।

झापांक - 5078 / राँची, दिनांक- 28-10-16

प्रतिलिपि : उपायुक्त, धनबाद/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची / श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
हजारीबाग/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।